RCT No. 07/2021
State of M.P. Vs akash

न्यायालय : श्रीमती स्वाति समाधिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेंवढ़ा जिला– दतिया(म0प्र)
(निर्णय दिनांक 30 सितम्बर 2024)

आपराधिक प्रकरण कमांक 07/2021
फायलिंग कमांक 18/2021
सी.एन.आर. नं. MP3205000018/2021
संस्थित दिनांक 04.01.2021

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र सेंवढ़ा जिला दतिया (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री प्रकाश नरवरिया, ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त विषण	आकाश पुत्र रामस्वरूप सविता, आयु 25 वर्ष हाल आयु 28 वर्ष, निवासी–रामपुरा खुर्द, थाना–भगुवापुरा, जिला–दतिया म.प्र.
प्रतिनिधित्व अभियुक्त द्वारा	श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	14.08.2020
प्र.सू.रि. की तिथि	14.08.2020
आरोप पत्र की तिथि	04.01.2021
आरोपों के विरचना की तिथि	25.08.2021
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	12.07.2022
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	27.09.2024
निर्णय की तिथि	30.09.2024
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	कुछ नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दंडादेश	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भौगी गयी निरोध की अवधि
01	आकाश सविता	27.08.2020	27.08.2020	धारा 279, 338 भा0द0वि0 एवं धारा 3/181 मो.व्ही.एक्ट	दोषमुक्ति	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।

//अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची//

श्रेणी	नाम	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
अ.सा.1	रविंद्र	फरियादी
अ.सा.2	मस्तराम	चक्षुदर्शी साक्षी

अभियोजन /प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची क्रमांक अभियोजन :–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्र.प्री.01/अ.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्र.प्री.02/अ.सा.1	नक्शा मौका
03	प्र.पी.03/अ.सा.1	साक्षी रविंद्र के धारा 161 जा.फौ. के कथन
04	प्र.पी.04/अ.सा.2	साक्षी मस्तराम के धारा 161 जा.फौ. के कथन

आरक्षी केंद्र सेंवढ़ा, जिला–दतिया के अपराध क्रमांक 146/2020 अपराध अंतर्गत धारा 279, 338 भा0दं0सं0 1860 एवं धारा 3/181 मो.व्ही.एक्ट से उद्भूत प्रकरण।

....

1. अभियुक्त पर धारा 279 भा0द0वि0 एवं धारा 3/181 मो.व्ही. एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप इस आधार पर है कि आरोपी ने दिनांक 14.08.2020 को समय लगभग शाम 04:00 बजे स्थान पुराने थाने के सामने सेंवढ़ा में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 32 एम.एच. 6776 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत कल्पना का मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन का चालन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किया।

2. प्रकरण में अविवादित तथ्य यह है, कि आहत नाबालिग कल्पना की ओर से उसके पिता रविंद्र अ.सा.–01 द्वारा अभियुक्त से स्वेच्छ्यापूर्वक राजीनामा कर लिये जाने के कारण आरोपी को धारा 338 भा0द0वि0 के दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी पुराने थाने के सामने वार्ड क्रमांक 15 सेंवढ़ा में रहता है। घटना दिनांक को पुराने थाने के सामने शाम करीब 05:00 बजे उसकी लडकी कल्पना, आयु 03 वर्ष अपनी मम्मी के साथ जा रही थी, उसी समय सिंध नदी तरफ से मोटरसाईकिल

क्रमांक एम.पी. 32 एम.एच. 6776 का चालक मोटरसाईकिल को काफी तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये लाया और उसकी लड़की कल्पना में टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उसकी लड़की के बांये पैर की पिडली में, पीठ में एवं सिर में दांहिने तरफ मूंदी चोट आई और पिडली से खून निकल आया। घटना को उसने तथा उसकी पत्नी सरस्वती एवं मस्तराम गंधी ने देखा था। फरियादी के द्वारा दिनांक 14.08.2020 को घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई, जिस पर से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आहत कल्पना का मेडिकल कराया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 32 एम.एच 6776 को विधिवत् जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4. आरोपी को अपराध विवरण पढ़कर सुनाए समझाए जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 14.08.2020 को समय लगभग शाम 04:00 बजे स्थान पुराने थाने के सामने सेंवढ़ा में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 32 एम.एच. 6776 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी कल्पना का मानव जीवन संकटापन्न किया?

2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का चालन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किया?

//सकारण निष्कर्ष//

6. शिकायतकर्ता रविंद्र अ.सा.-01 ने आरोपी को जानना बताते हुए यह कथन किया है कि घटना को उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से करीब 3 साल का समय हो गया है। पुराने थाने के सामने सेंवढ़ा में एक मोटरसाईकिल उसकी लड़की कल्पना का एक्सीडेंट करके चली गई थी। साक्षी के द्वारा बाईक का क्या नंबर था एवं उसे कौन चला रहा था के संबंध में जानकारी न होना प्रकट किया गया है। मोटरसाईकिल को उसका चालक कैसे चलाकर ला रहा था, उसने नहीं देखा था। उक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना की रिपोर्ट **प्रदर्श पी-01** उसके द्वारा लिखाई गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उसकी

लडकी का मेडिकल परीक्षण कराया था एवं घटनास्थल का नक्शा मौका **प्रदर्श पी–02** बनाया था। साक्षी मस्तराम अ.सा.–02 ने आरोपी को नहीं जानना बताते हुए कहा है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों साक्षीगण ने मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 32 एमएच 6776 को उसके चालक आकाश द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाये जाने संबंधी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अतः सारवान साक्ष्य के अभाव के कारण अभियुक्त आकाश द्वारा दिनांक 14.08.2020 को समय लगभग शाम 04:00 बजे स्थान पुराने थाने के सामने सेंवढ़ा में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 32 एम.एच. 6776 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी कल्पना का मानव जीवन संकटापन्न किये जाने एवं अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लाइसेंस चलाये जाने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित न पाते हुए अभियुक्त आकाश को धारा 279 भा0द0वि0 एवं 3/181 मो.व्ही.एक्ट के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

7. अभियुक्त के जमानत तथा मुचलके 6 माह की अवधि के लिए विस्तारित किये जाते हैं। अपीलावधि पश्चात भारमुक्त समझे जावे।

8. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पूर्व से वाहन स्वामी की अंतरिम सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपीलावधि पश्चात एवं अपील न होने की दशा में भारमुक्त समझा जावे।

9. आरोपी इस प्रकरण के संबंध में न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है। अतः इस आशय का प्रमाण धारा 428 जा.फौ. का तैयार कर निर्णय के साथ संलग्न किया जावे।

स्थानः– सेंवढ़ा

दिनांकः– 30.09.2024

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(श्रीमती स्वाति समाधिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सेंवढा जिला–दतिया म.प्र.

(श्रीमती स्वाति समाधिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सेंवढा जिला–दतिया म.प्र.

SWATI SAMADHIYA

Digitally signed by SWATI SAMADHIYA
Date: 2024.09.30 17:18:09 +0530